



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092021-229709
CG-DL-E-16092021-229709

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3467]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2021/भाद्र 24, 1943

No. 3467]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2021/BHADRA 24, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

का.आ. 3779(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 3103(अ) तारीख 3 अगस्त, 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II खण्ड-3, उपखण्ड ii, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के खण्डवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 753L इन्दौर-एदलाबाद-महाराष्ट्र बॉर्डर के कि.मी. 81+000 से कि.मी. 139+000 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग - पंधाना जिला खण्डवा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित चार लेन का बनाना, आदि), उसके बाईपासों का अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "तारीख 6 अगस्त, 2021" को "दैनिक भास्कर" और "टाइम्स नेशन" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के खण्डवा जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 753 L इन्दौर-एदलाबाद-महाराष्ट्र बॉर्डर के कि.मी. 81+000 से कि.मी. 139+000 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग – पंधाना जिला खण्डवा) के लिए भू-अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: खंडवा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पंधाना				
	गांव का नाम: बोरगांव बुजुर्ग				
1	1359/1,1359/2	सरकारी	असिंचित	0.25	शासकीय भू-जल, शासकीय रास्ता (१३५९/१, १३५९/२)
2	1360/1	निजी	सिंचित	0.81	नानसिंग पिता गाठिया (१३६०/१)
3	1361	निजी	सिंचित	0.38	नानसिंग पिता गाठिया (१३६१)
4	1362	सरकारी	असिंचित	0.195	शासकीय भू-जल (१३६२)
5	1363/1	निजी	सिंचित	0.023	रामा पिता कान्हा (१३६३/१)

6	1365/1	निजी	सिंचित	0.04	भुराबाई पति हेमराज (१३६५/१)
7	1365/2	निजी	सिंचित	0.1	हीरालाल पिता लखुभाई (१३६५/२)
8	1365/3	निजी	सिंचित	0.156	मोहम्मद रेहान पिता मोहम्मद शेख सुल्तान (१३६५/३)
9	1366	सरकारी	असिंचित	0.001	शासकीय रास्ता (१३६६)
10	1367	निजी	सिंचित	0.001	अशोककुमार पिता हुकुमचंद (१३६७)
11	1396/1	निजी	सिंचित	0.039	अनिल पिता लक्ष्मण (१३९६/१/१)
12	1396/2	निजी	सिंचित	0.198	अनिल पिता लक्ष्मण (१३९६/२)
13	1398	निजी	सिंचित	0.654	किशोर पिता दत्तोत्रय (१३९८)
14	1399	सरकारी	असिंचित	0.152	छोटे झाड़ का जंगल (१३९९)
15	1400/2	सरकारी	असिंचित	0.017	शासकीय रास्ता (१४००/२)
गांव का नाम: पिपलोद खुर्द					
16	559	निजी	सिंचित	0.001	दगडुबाई पति प्यारसिंह (५५९)
गांव का नाम: सोनगिर (खंडवा)					
17	573	सरकारी	असिंचित	0.139	शांतीलाल पिता रूखडिया ग्राम नौकर (५७३)
			कुल	3.156	

[फा. सं./NHAI/PIU/Indore/Indore-Ediabab/2017/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2021

S.O. 3779(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.3103(E) dated 03 August 2021, Published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land

specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening /Two lane with paved Shoulder/four laning, etc.), construction of bypasses, maintenance, management and operation of National Highway No 753L in the stretch of land from Km. 81+000 to 139+000 Km. (Sub-Divisional Office Pandhana, District Khandwa M.P.) Indore-Edlabad upto Maharashtra Border in District KHANDWA in the State of MADHAYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Times Naition” both dated 06 August 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling National Highway No 753L in the stretch of land from Km. 81+000 to 139+000 Km. (Sub-Divisional Office Pandhana, District Khandwa M.P.) Indore-Edlabad upto Maharashtra Border in District KHANDWA in the State of MADHAYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: KHANDWA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Pandhana				
	Village: Boregaon Bujurg				
1	1359/1,1359/2	Government	Unirrigated	0.25	Government Under Water, Government Way 1359/1, 1359/2
2	1360/1	Private	Irrigated	0.81	Nansingh S/o Gathiya 1360/1
3	1361	Private	Irrigated	0.38	Nansingh S/o Gathiya 1361
4	1362	Government	Unirrigated	0.195	Government Under Water 1362
5	1363/1	Private	Irrigated	0.023	Rama D/o Kanha 1363/1
6	1365/1	Private	Irrigated	0.04	Bhurabai W/o Hemraj 1365/1
7	1365/2	Private	Irrigated	0.1	Heeralal S/o Lakhubhai 1365/2
8	1365/3	Private	Irrigated	0.156	Mohammad Rehan S/o Mohammad Shekh Sultan 1365/3
9	1366	Government	Unirrigated	0.001	Government Way

					1366
10	1367	Private	Irrigated	0.001	Ashok kumar S/o Hukumchand 1367
11	1396/1	Private	Irrigated	0.039	Anil S/o Laxman 1396/1/1
12	1396/2	Private	Irrigated	0.198	Anil S/o Laxman 1396/2
13	1398	Private	Irrigated	0.654	Kishor S/o Dattotray 1398
14	1399	Government	Unirrigated	0.152	Government Small Scrub of forest 1399
15	1400/2	Government	Unirrigated	0.017	Government Way 1400/2
	Village: Piplod Khurd				
16	559	Private	Irrigated	0.001	Dagdubai W/o Pyarsingh 559
	Village: Songir (Khandwa)				
17	573	Government	Unirrigated	0.139	Shantilal S/o Rukhadiya Gram Nokar 573
			TOTAL	3.156	

[F. No. NHAI/PIU/Indore/Indore-Ediabab/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Director

]